संख्या-5/2019/ 1203 /18-4-2018-36(विविध)/10

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी,2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास/उच्चीकरण योजनान्तर्गत राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक आयुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-2025/क्लस्टर-12/2018-19, दिनांक 26-12-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-334/18-4-2017-36(विविध)/10, दिनांक 31-3-2017 द्वारा रेडीमेड गारमेन्ट क्लस्टर बरेली की परियोजना हेतु निर्धारित राज्यांश की धनराशि रू0 119.83 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 40.39 लाख मात्र की धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अत: वित्तीय वर्ष 2018-19 में लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 101.00 लाख (रूपये एक करोड़ एक लाख) मात्र के सापेक्ष रेडीमेड गारमेन्ट क्लस्टर बरेली की परियोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 79.44 लाख (रू0 उन्यासी लाख चौवालिस हजार) मात्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के निवर्तन पर रखते हुए निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

5-स्वीकृत धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा उक्त योजना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना के सम्बंध समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश तथा शासन द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग तथा तुरन्त व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा एवं उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य किसी मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

7- योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30-03-2018 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

9- प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय - व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखा शीर्षक -"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30-03-2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-1203(1)/18-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- विकास आयुक्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय निर्माण भवन, 7वाँ फ्लोर मौलाना आजाद रोड़ भारत सरकार नई दिल्ली ।
5- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त बरेली/जिलाधिकारी बरेली ।
7- कोषाधिकारी कानपुर नगर/ बरेली ।
8- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
9- उपायुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र बरेली।
10- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग'6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।